XI

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर (राज.)

प.07(334)मगंसिविबी / शैक्ष. / बोम–11 / 2010 / दिनांक

प्रबन्ध मण्डल की 11वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 11वीं बैठक दिनांक 23–04–2010 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रो. गंगा राम जाखड़ – अध्यक्ष
2. श्री दौलत राज नायक – सदस्य राजस्थान विधान सभा
3. श्री तपेश पंवार – प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा
4. प्रो. एल.एन. गुप्ता – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
5. डॉ. एस.एस. टाक – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित–शिक्षाविद्)
6. डॉ. एम.एल. शर्मा – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
7. श्री मनीराम – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
8. श्री श्याम सुन्दर रांकावत – सदस्य सचिव

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व सभी सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय का स्वागत किया गया तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा भी सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए बैठक में उनका स्वागत किया गया। साथ ही दो सदस्यों डॉ. विमलेन्दु तायल एवं डॉ. आर.के.वर्मा का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रबन्ध मण्डल की पूर्व में आयोजित बैठकों में उनके द्वारा किये गये योगदान की सराहना की गई। बैठक में हुए विचार–विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/99

प्रबन्ध मण्डल की दसवीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर विचारार्थ प्रस्ताव :–

1. डॉ. एस. एस. टाक – पत्र क्रमांक MGSU/10/0103 दिनांक 05.01.10
2. डॉ. एम. एल. शर्मा – पत्र क्रमांक SDC/2009/256 दिनांक 21.12.09

प्रबन्ध मण्डल की दसवीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से प्राप्त पत्र पर प्रबन्ध मण्डल में चर्चा पश्चात् नीचे लिखे अनुसार कार्यवाही विवरण में संशोधन किया गया :–

निर्णय :– माननीय सदस्य प्रो. एस.एस.टाक के कार्यवाही विवरण में संशोधन प्रसताव को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि प्रबन्ध मण्डल के कार्यवाही विवरण में विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपस्थित सदस्यों का ही उल्लेख हो तथा विशेष आमंत्रित के रूप में अंकित नाम हटाये जावें। डॉ. एम.एल. शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय के सम्बन्ध में इस बैठक में विचारार्थ नवीन बिन्दु होने के कारण कार्यवाही विवरण में अंकित बिन्दु में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं समझी गई। माननीय सदस्य श्री तपेश पंवार ने प्रकट किया कि संघटक कॉलेज के सम्बन्ध में कार्यवाही विवरण में अंकित तथ्य जिस तरह वर्णित है, उनके द्वारा व्यक्त किये गये तथ्यों के अनुरूप नहीं होने से कार्यवाही विवरण में संशोधन किया जाना चाहिए। इनके अनुसार ''विश्वविद्यालय मॉडल कॉलेज बनाने पर विचार करे, मॉडल कॉलेज का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार से एक तिहाई मदद प्राप्त की जाकर शेष राशि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निवेशित कर सकती है।'' कार्यवाही विवरण में उक्तानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/100

प्रबन्ध मण्डल की दसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा पूर्व में लिये निर्णयों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान पूर्व में मुद्रित उपाधियों की जाँच हेतु डॉ. एस.एस. टाक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.02.2010 पर चर्चा की गई। डॉ. एस.एस.टांक द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को पूर्व में मुद्रित उपाधियों में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया। सर्वसम्मति से डॉ. एस.एस.टाक समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पूर्व में मुद्रित उपाधियों को वितरण योग्य न मानते हुए भविष्य में वांछित सावधानियों को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से उपाधि मुद्रण करवा कर आगे की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात 10 वी बेठक के कार्यवाही विवरण पर प्रस्तुत पालना रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/101

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.07.2009 की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.07.2009 का एजेण्डा पूर्व की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष नहीं होने के कारण उपरोक्त कार्यवाही विवरण का अनुमोदन नहीं किया जा सका था। विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.07.2009 के एजेण्डा बिन्दु एवं कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों को प्रेषित कर पुनः विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा गया।

निर्णय :– बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान सुझाव प्राप्त हुए कि छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में पाठ्यक्रमों का संचालन किया जावे जिसका निर्धारण वर्ष 2010 की परीक्षाओं में विषय विशेष में सम्मलित छात्रों की संख्या से हो। सदस्यों ने कुछ विषयों की BOS बैठक नही होने पर निर्णय लिया कि यदि किसी भी बोर्ड ऑफ स्टेडीज के सदस्य बैठक में बार–बार अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे सदस्यों के स्थान पर नये सदस्यों का मनोनयन किया जाना चाहिए।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/102

विश्वविद्यालय में Ph.D & M.Phil में पंजीयन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश 2009 को लागू करने हेतु प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 1 जून, 2009 को जारी तथा जुलाई 11–17, 2009 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Ph.D & M.Phil) उपाधि के लिए (न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार Ph.D उपाधि के पंजीयन एवं M.Phil में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित की जानी है। विश्वविद्यालय द्वारा Ph.D & M.Phil के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के उपर्युक्त रेग्युलेशन, 2009 के अनुसार प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम तैयार करवा लिया गया है एवं प्रवेश परीक्षाएँ शीघ्र ही आयोजित की जानी प्रस्तावित है। M.Phil एवं Ph.D पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 24–40 दिनांक 06.04.2010 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय में Ph.D & M.Phil पाठ्यक्रमों में पंजीयन हेतु दिनांक 31.01.2010 तक प्रवेश प्रक्रिया में प्रदत्त छूट हेतु जारी आदेश क्रमांक 21185–90 दिनांक 08.01.2010 (छायाप्रति संलग्न) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों ने प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया तथा विचार–विमर्श के दौरान शोध पंजीयन हेतु दिनांक 31–01–2010 तक के लिए प्रदान की गई छूट हेतु जारी आदेश दिनांक 08.01.2010 का अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि शोध पंजीयन में अब किसी प्रकार की छूट प्रदान नही की जावें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रवेश परीक्षा की शर्तो की पालना करते हुए ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा प्रवेश परीक्षा, शुल्क 1,000/– रू. व विज्ञान संकाय में अंग्रेजी माध्यम व अन्य संकाय में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो माध्यम लागू करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। प्रवेश परीक्षा

प्रश्न पत्र तैयार करने वाले परीक्षकों के लिए मानदेय 1000/– निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। प्रवेश परीक्षा के सुगम एवं सफल संचालन हेतु डॉ. आर.के.शर्मा, समन्वयक, स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रम की अध्यक्षता में गठित समिति तथा विश्वविद्यालय द्वारा माह जुलाई, 2010 में प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने की जानकारी सदस्यों को दी गई। प्रवेश परीक्षा आयोजन हेतु मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के पैटर्न को उपयोग में लिये जाने का सुझाव भी दिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/103
विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

वर्ष 2009–10 में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक प.07(130)/मगंसिविबी/आयुक्त/ 2010/10956–57 दिनांक 29.01.2010 के द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर (राज.) को भेजा गया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 (छायाप्रति संलग्न) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2009–10 के प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए इस आशय का निर्णय लिया कि प्रतिवेदन का प्रोफार्मा अन्य विश्वविद्यालयों के प्रतिवेदनों का अवलोकन कर तैयार किया जावे एवं भविष्य में अन्यत्र भेजने से पूर्व यथा सम्भव प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित करवाया जाना चाहिए।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/104

विश्वविद्यालय परिसर में महाराजा गंगासिंह जी की प्रतिमा स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :– श्रीमती सुशीला कुमारी, मुख्य ट्रस्टी, महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट, बीकानेर ने पत्र दिनांक 06.03.2010 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में बीकानेर के पूर्व महाराजा गंगासिंह जी की प्रतिमा स्थापित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही प्रतिमा के डायमेन्शन, डिजाईन व स्थान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देने और प्रतिमा को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन भी किया गया। ट्रस्ट के पत्र दिनांक 06.03.2010 को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर ट्रस्ट के अनुरोध को स्वीकार योग्य मानते हुए यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में महाराजा गंगा सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु साइट प्लान के अनुसार जगह का निर्धारण किया जावें। साथ ही राज्य सरकार से प्रतिमा स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमति हेतु अनुरोध किया जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/105

विश्वविद्यालय का सामान्य तथा स्ववित्तपोषी योजना का बजट अनुमान वर्ष 2010–11 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2009–10 के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय का सामान्य तथा स्ववित्तपोषी योजना का बजट अनुमान वर्ष 2010–11 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2009–10 का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा सामान्य तथा स्ववित्तपोषी योजना बजट अनुमान वर्ष 2010–11 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2009–10 पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बजट में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किये गए :–

(1) चूंकि बजट प्रस्ताव गत वित्तीय वर्ष 2009–10 की समाप्ति के पश्चात अनुमोदित किये गये है। अतः वास्तविक व्यय माह दिसम्बर, 2009 तक के कॉलम को हटाकर R.E. 2009-10 के स्थान पर वास्तविक व्यय वर्ष 2009–10 दिखलाया जावे।

(2) विश्वविद्यालय की निजी आय के मदों में आय मद Misc. Receipts को पूर्ववत्त चालू रखा जावे।

(3) आय एवं व्यय मदों में "Law College" के स्थान पर "Faculty of Law" किया जाकर इसके आय–व्यय को वित्तीय वर्ष 2010–11 से विश्वविद्यालय की स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित किया जावे।

(4) पूर्व में स्वीकृत 10 एवं अभी स्वीकृत 20 शैक्षणिक पदों के लिए B.E. 2010–11 में स्थिर वेतन के रूप में विश्वविद्यालय की निजी आय से व्यय हेतु 6 माह का प्रावधान शामिल किया जावे।

(5) शहरी जनसहभागिता के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्यों के पूर्व के अनुमान रूपये 467.00 लाख को संशोधित कर रूपये 552.00 लाख किया जावे।

(6) व्यय मद Machinery & Equipment के पूर्व प्रावधान रू. 10.00 लाख के स्थान पर अब संशोधित प्रावधान रू. 100.00 लाख किया जावे।

(7) स्व–वित्त पोषी योजना के व्यय मद Postage & Stamp में रू. 0.05 लाख का प्रावधान किया जावे।

(8) State-Plan एवं Non-Plan के बजट प्रस्तावों में क्रमांक 1 पर अंकित टंकण त्रुटि Salary pay को सुधार कर इसके स्थान पर केवल Pay किया जावे।

उपरोक्त संशोधनों को समाहित करते हुए माननीय सदस्यों द्वारा बजट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ यह निर्देश भी दिया गया कि यथा सम्भव बजट का माह फरवरी में प्रबन्ध मण्डल बैठक आयोजित करवाकर अनुमोदन करवाया जाना चाहिए।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/106

विश्वविद्यालय परिसर में बैंक हेतु भवन निर्माण हेतु बजट प्रावधान का प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की दसवीं बैठक के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/ बोम–10/2009/98 (iii) की पालना में विश्वविद्यालय परिसर में बैंक हेतु भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, विश्वविद्यालय शाखा के पत्र दिनांक 23.01.2010 के द्वारा भूमि के निर्धारण के साथ–साथ बैंक द्वारा प्रस्तुत नक्शों के अनुसार बैंक भवन, बिजली कनेक्शन, स्ट्रॉंग रूम आदि का निर्माण विश्वविद्यालय द्वारा करवाये जाने का अनुरोध किया है। भवन निर्माण की कार्यकारी एजेन्सी मैसर्स आर.एस.आर.डी.सी. लि., बीकानेर ने बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये गये नक्शों के अनुसार भवन निर्माण की अनुमानित लागत 29.94 लाख रू. सूचित की है।

अतः विश्वविद्यालय परिसर में बैंक हेतु भवन निर्माण की अनुमानित लागत राशि रू. 30.00 लाख के बजट आवंटन का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के हितो तथा अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध करावें उसी बैंक को विश्वविद्यालय द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही माननीय सदस्य डॉ. एस.एस. टाक द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस राष्ट्रीय बैंक को विश्वविद्यालय द्वारा कार्य दिया जाता है उस बैंक से पहले शर्तो एवं उपाबन्धों का निर्धारण किया जाना चाहिए, साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग से किराये का निर्धारण भी करवाया जाना चाहिए। इसके लिए अन्य राष्ट्रीयकृत बैकों के साथ वार्ता करनी चाहिए। जिस राष्ट्रीयकृत बैंक की शर्तें एवं उपाबन्ध सर्वोत्तम एवं विश्वविद्यालय, अधिकारी/कर्मचारी व छात्र हितों के अनुकूल हो उसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ औपचारिक अनुबंध पत्र निष्पादित करके कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। इन सुझावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि तीन–चार राष्ट्रीय बैकों से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावें। चिचार–विमर्श के दौरान सुझाव आया कि बैंक के भवन निर्माण के लिए विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य द्वार के पूर्व दिशा में मुख्य द्वार से दूर साइट प्लान के अनुसार उपलब्ध जमीन का आवंटन किया जावें।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/107

विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम की सुविधा प्रदान करने हेतु कोष स्थापित करने का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने भवन निर्माण अग्रिम हेतु विश्वविद्यालय में भवन निर्माण ऋण कोष स्थापित करने के लिए कुलपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा कुलपति महोदय की आज्ञा दिनांक 06.03.2010 के अनुसार इस बिन्दु को विचारार्थ रखा गया ।

निर्णय :– :– प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाना सम्भव नही है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से शर्तो एवं उपाबन्धों का निर्धारण करते समय उक्त सुविधा संबंधी बिन्दु भी जोडा जा सकता है।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/108

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा कार्यों हेतु वर्ष 2009 के लिए स्वीकृत मानदेय प्रस्ताव को संशोधित करने हेतु प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षात्मक कार्य 2009 के लिए मानदेय का प्रबन्ध मण्डल की 10वीं बैठक में अनुमोदन किया गया था। वर्ष 2008 में परीक्षात्मक कार्यों के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये मानदेय के अनुरूप ही इस विश्वविद्यालय में मानदेय स्वीकृत किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने परीक्षा, 2009 के लिए प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक में स्वीकृत मानदेय को अपर्याप्त मानते हुए ज्ञापन प्रस्तुत कर प्रबन्ध मण्डल की 10वीं बैठक में स्वीकृत मानदेय पर पुनः विचार करते हुए परीक्षा, 2008 में स्वीकृत मानदेय के अनुसार ही परीक्षा 2009 के लिए मानदेय स्वीकृत करने का निवेदन किया है। अतः परीक्षा 2009 के लिए मानदेय/पारिश्रमिक के संशोधन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व में अनुमोदित प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी को देखते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेश संख्या एफ.02( )/मगंसिविबी/गोपनीय/2008/423–435 दिनांक 24.04.09 की भाँति दरों के अनुरूप 2009 की परीक्षा कार्य हेतु मानदेय देने का निर्णय लिया गया। पूर्व के निर्णय में संशोधन कर निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को परीक्षा के कार्यों के लिए मानदेय की अधिकतम सीमा 45000/– रूपये होगी। वर्ष 2008 में भुगतान किये गये मानदेय का विवरण कर्मचारी वार भी आगामी बैठक में प्रस्तुत करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/109

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा वर्ष 2010 के लिए मानदेय/पारिश्रमिक स्वीकृति का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा, 2010 के लिए अतिरिक्त कार्यों हेतु मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– परीक्षा वर्ष 2009 में अनुमोदित मानदेय के अनुसार ही परीक्षा 2010 के मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–11/2010/110

परीक्षा वर्ष 2009 में एक समन्वयक द्वारा एम.फिल. में निर्धारित दर से अधिक दर पर परीक्षकों को किये गये भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा वर्ष 2009 में उत्तरपुस्तिकाओं एवं लघुशोध का परीक्षण करवाने हेतु डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे को जयपुर में समन्वयक नियुक्त किया गया था। श्रीमती पाण्डे को उक्त कार्य करवाने हेतु 12 लाख की राशि अग्रिम स्वीकृत की गई थी। समन्वयक द्वारा अग्रिम राशि का हिसाब प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ है कि एम.फिल. की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर 15/– प्रति उत्तरपुस्तिका के स्थान पर 30/– प्रति उत्तरपुस्तिका तथा लघु शोध प्रबन्ध की जाँच हेतु 200/– प्रति लघु शोध एवं न्यूनतम 600/– के स्थान पर 400/– प्रति लघु शोध (न्यूनतम का ध्यान नही रखा गया) की दर से भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे, समन्वयक, जयपुर द्वारा परीक्षकों को कुल 2,33964/– का अधिक भुगतान कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक ने श्रीमती करूणा पाण्डे को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए परीक्षकों को किये गये अधिक भुगतान की वसूली कर विश्वविद्यालय को भिजवाने तथा वूसली का परीक्षकवार

विवरण भी भेजे जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.01.2010 लिखा ताकि समायोजन/भुगतान की कार्यवाही सम्भव हो सके।

डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे ने अवगत करवाया है कि एफ.फिल की उत्तरपुस्तिकाओं व लघुशोध प्रबन्ध के मूल्याकंन बाबत परीक्षकों को प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय (यथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर) की दर के हिसाब से भुगतान कर दिया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित बिल पुराने तथा उन पर जो दर छपी थी वह भी विरोधाभासी थी। यह भी अवगत करवाया गया कि तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. पी.आर. ओझा ने दूरभाष पर निदेश दिये है कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की दर से भुगतान कर परीक्षा कार्य शीघ्र सम्पन्न करावें। श्रीमती करूणा पाण्डे द्वारा प्रेषित प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के पारिश्रमिक बिलों के अनुसार एम. फिल. उत्तरपुस्तिका/लघु शोध प्रबन्ध की जॉच की दरों का तुलनात्मक ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	विश्वविद्यालय का नाम	उ.पु.मू.दर प्रति उ.पु.	न्यूनतम देय राशि	लघुशोध जॉच	न्यूनतम देय
1	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	30	300	400	
2.	म.द.स.विश्वविद्यालस, अजमेर	30	300	400	
3.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	30	300	400	
4.	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	15	300	200	600

इस क्रम में डॉ. ओझा से टिप्पणी प्राप्त करने पर उनके पत्र दिनांक 04–03–2010 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि समन्वयक जयपुर द्वारा उन्हे दूरभाष पर सूचित किया कि विश्वविद्यालय के बिल फार्म पर एम.फिल. उत्तरपुस्तिका मूल्याकंन हेतु पारिश्रमिक दर 10/– एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं हेतु 15/– छपा हुआ है। इसके साथ यह भी बताया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों की एम.फिल. की पारिश्रमिक दरें इस राशि से काफी अधिक होने के कारण परीक्षक उत्तरपुस्तिकाएं जांचने में रूचि नही ले रहे हैं। अतः समन्वयक को निर्देशित किया गया कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय द्वारा देय पारिश्रमिक दरें आदि प्रेषित करे ताकि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को अनुशंषा कर दरें बढाने की अनुशंषा की जा सकें तथा यह भी निर्देशित किया गया कि परीक्षा जांच कार्य में यथा सम्भव किसी प्रकार का व्यवधान मूल्याकंन दरों के कारण नही आना चाहिए। इस प्रकार डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे द्वारा उत्तपुस्तिकाओं की जॉच करवा ली गई। डॉ. ओझा ने अपने पत्र में "पारिश्रमिक दरों में संशोधन कर अन्य विश्वविद्यालयों के समान भुगतान किया जाना न्यायोचित है तथा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जयपुर समन्वयक को उपरोक्त दरों से भुगतान करने का आश्वासन दिया था। इसके साथ ही कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने एवं गत भुगतान को नियमित करने की पुरजोर अनुशंषा की है"

डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे, समन्वयक, जयपुर द्वारा परीक्षकों को कुल 2,33964/– का अधिक भुगतान कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

निर्णय :– प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श करने के पश्चात् श्रीमती करूणा पाण्डे, समन्वयक, जयपुर को उनके द्वारा परीक्षकों को अधिक राशि के किये गये भुगतान की वसूली कर विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में वसूली पत्र प्रेषित किये जाने का निर्देश देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही तत्कालिक परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय भी पारित किया गया कि परीक्षा वर्ष, 2010 से समन्वयकों को दिये जाने वाले आदेश स्पष्ट होने चाहिए।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/111

विश्वविद्यालय में स्वीकृत रिक्त अशैक्षणिक पदों पर तदर्थ पदोन्नति का प्रस्ताव :–

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में दो वरिष्ठ लिपिक तथा पाँच सहायक कर्मचारियों के पद विश्वविद्यालय के गठन से ही रिक्त हैं। प्रबन्ध मण्डल की छठी बैठक दिनांक 11.09.2007 (निर्णय सं. 13) एवं प्रबन्ध मण्डल की आठवीं बैठक दिनांक 25.07.2008 (टेबल एजेण्डा 10–VIII) की बैठकों में इन रिक्त पदों को तदर्थ पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रबन्ध मण्डल में निर्णय हुआ कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को राज्य सरकार के आदेश के निर्णयानुसार सरप्लस स्टाफ को शीघ्र इस विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने हेतु लिखा जावे। इसकी अनुपालना में राज्य सरकार को पत्रांक 21534 दिनांक 12.11.08, पत्रांक 30205 दिनांक 24.02.09 एवं अ.शा.पत्रांक 15983 दिनांक 27.09.08 के द्वारा निरन्तर निवेदन किया गया, परन्तु अभी तक कोई भी स्टाफ महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थानान्तरित होकर नहीं आया है और राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से वरिष्ठ लिपिक के दो पद स्थानान्तरण/समायोजन पर आने तक अथवा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने तक वरिष्ठ लिपिक के इन दो रिक्त पदों को तदर्थ पदोन्नति द्वारा भरा जाना एवं इसके परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले कनिष्ठ लिपिक के पदों को भी तदर्थ पदोन्नति से भरा जाना प्रस्तावित है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती एवं पदोन्नति नियम (जो इस विश्वविद्यालय में प्रभावी हैं) संख्या 22 एवं 32 (1) में पदोन्नति का प्रावधान है।

अतः उपरोक्तानुसार रिक्त पदो को तदर्थ पदोन्नति से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ लिपिक एवं अन्य पदोन्नति के पदों पर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार योग्यता पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति की जावे।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/112

पूर्व में सृजित रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी :–

विश्वविद्यालय में पूर्व में सृजित रिक्त पदों में से राज्य सरकार के पत्रांक प.20 (2) शिक्षा–4/2007 पार्ट दिनांक 23.12.09 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा परीक्षा नियंत्रक एवं वाहन चालक के एक–एक रिक्त पदों को नियमानुसार सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों को भरने हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। नियुक्ति की शेष प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जानी प्रस्तावित है।

इसी तरह राज्य सरकार से पत्रांक प.20 (2) शिक्षा–4/2007 पार्ट दिनांक 28.01.2010 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा पूर्व में सृजित रिक्त पदों में से एक सहायक कुलसचिव तथा एक अनुभाग अधिकारी का पद भी नियमानुसार सीधी भर्ती प्रक्रिया से भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सहायक कुलसचिव का पद सीधी भर्ती प्रक्रिया से तथा कर्मचारियों के निवेदनानुसार अनुभाग अधिकारी का पद महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति से भरने की अनुमति हेतु राज्य सरकार को लिखा जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उपरोक्त पूर्व में सृजित रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति से प्रबन्ध मण्डल को अवगत करा जिसे नोट किया गया। पदोन्तियॉ नियमानुसार करे।

निर्णय :– बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहायक कुलसचिव एवं अनुभाग अधिकारी के एक–एक पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जावें।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/113
विश्वविद्यालय में पाँच नवीन शैक्षिक विभागों हेतु 20 शैक्षणिक पदों की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति की जानकारी :–

उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 14(13) शिक्षा–4/07 दिनांक 11.12.07 के द्वारा विश्वविद्यालय में पाँच नवीन विभाग पर्यावरण विज्ञान, माईक्रो बायोलोजी, इतिहास, अंग्रेजी व कम्प्यूटर साइंस एवं प्रत्येक विभाग के लिए एक–एक पद प्रोफेसर तथा एक–एक पद असिस्टेन्ट प्रोफेसर के स्वीकृत किये गये थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 बी के अन्तर्गत पंजीकरण की पात्रता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त प्रत्येक विभागों में दो–दो पद एसोसिएट प्रोफेसर एवं दो/तीन पद असिस्टेन्ट प्रोफेसर के स्वीकृत करने के अनुरोध पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 14(13)शिक्षा–4/07 दिनांक 22.03.2010 के द्वारा उपरोक्त पाँचों नवीन विभागों में दो–दो एसोसिएट प्रोफेसर तथा दो–दो असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किये हैं (छायाप्रति संलग्न)। इस तरह पाँच शैक्षिक विभागों में स्वीकृत इन 30 (5 प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 15 असिस्टेन्ट प्रोफेसर) पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार की उक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ रखी गई।

निर्णय :– उक्त जानकारी पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पदों का विज्ञापन जारी किया जावे जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताएँ ही लागू की जावे तथा इसके लिए अध्यादेश बनाया जाकर विश्वविद्यालय समितियों द्वारा अनुमोदित करवाये जाने का भी निर्णय लिया गया। इन नियमों को विद्या परिषद से पारित एवं तत्पश्चात् प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन करवाकर आगे की कार्यवाही के सम्बन्ध में भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/114

छठे वेतन आयोग के अनुसार कुलपति एवं शिक्षकों का पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा आदेष के अनुमोदन का प्रस्ताव –

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.1 (1)Edu.4/2008 Dated 27.10.09 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कुलपति हेतु पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत किये गए हैं। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति एवं शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने एवं कुलपति महोदय के वेतन स्थिरीकरण आदेश को अनुमोदनार्थ रखा गया।

निर्णय :– प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/115

शिक्षक कल्याण कोष नियम, 2010 के प्रारूप के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव :–

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय, संघटक महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुमोदित संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों एवं उनके परिजनों को यथार्थ रूप में कठिनाई ग्रस्त होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं अन्य संरचनात्मक कार्यों में उपयोग हेतु शिक्षक

कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है। यद्यपि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रावधान अनुसार शिक्षकों को देय परीक्षा सम्बन्धी पारिश्रमिक में से शिक्षक कल्याण कोष हेतु निर्धारित दर (6%) से कटौती की जा रही है एवं पृथक से बैंक खाता सं. 01–302 संधारित किया जा रहा है तथापि विश्वविद्यालय स्वंय के शिक्षक कल्याण कोष नियम उपलब्ध न होने के कारण इस कोष का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा न ही अभ्यर्थी शिक्षकों/परिजनों को वित्तीय सहायता जारी की जा रही है। विश्वविद्यालय के शिक्षक कल्याण कोष नियम का प्रारूप बनाने हेतु डॉ. विमलेन्दु तायल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप का महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के शिक्षक कल्याण कोष के नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं परीक्षण कर इस विश्वविद्यालय के शिक्षक कल्याण कोष नियम 2010 का प्रारूप तैयार किया गया है। तद्नुसार महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण कोष नियम, 2010 का प्रारूप (छायाप्रति संलग्न) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान सुझाव प्राप्त हुए कि शिक्षक कल्याण कोष नियम, 2010 में अधिकतम वार्षिक आय को जोडा जावें तथा वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 1,00,000 रखी जानी चाहिए। इसके साथ ही नियमों में वाचनालय, ओडोटोरियम, खेल मैदान आदि को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षक कल्याण कोष का उद्देश्य संकटकालीन सहायता राशि प्रदान करना होना चाहिए। शिक्षक कल्याण कोष नियम पारित करवाने से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमों का तुलनात्मक अवलोकन करवाकर प्रस्तावित आवश्यक संशोधन सहित प्रस्तावित नियम आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/116

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों को विश्वविद्यालय कार्य हेतु यात्रा पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं हेतु प्रो. गुप्ता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 11.09.2007 के निर्णय संख्या 67 (iii) की अनुपालना में प्रोफेसर एल.एन. गुप्ता, माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल की अध्यक्षता में उपरोक्त यात्रा सुविधाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 19.05.2009 को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

माननीय कुलपति महोदय की आज्ञानुसार उक्त रिपोर्ट का अध्ययन/परीक्षण कर अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु कुलसचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मूल रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के सम्बन्ध में उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन कर प्रस्तुत अनुशंसा (छायाप्रति संलग्न) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान प्रबन्ध मण्डल सदस्यों एवं चयन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सिटिंग चार्जेज के रूप में 1,000/– रूपये प्रति बैठक के हिसाब से देने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रबन्ध मण्डल सदस्यों एवं चयन समिति सदस्यों को अधिकतम 6.50 रू. प्रति कि.मी. की दर या वास्तविक व्यय जो भी कम हो से यात्रा भत्ता भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/117(i)

विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के गठन हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न अन्तर महाविद्यालय एवं अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में लगभग 5000 प्रतिभागी भाग लेते है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 55–60 विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं अन्तर महाविद्यालय एवं अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय में

खेलकूद निदेशक का पद वर्तमान समय तक स्वीकृत नही होने के कारण खेलकूद प्रतियोगिताओं के संचालन हेतु प्रतिवर्ष प्रतिनियुक्त पर डॉ. शंकर लाल प्रजापत की सेवाऐं ली जाती रही है। चूंकि विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त 261 महाविद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में भेजने की व्यवस्था एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का कार्य क्षेत्र व्यापक है। अतः खेलकूद गतिविधियों के सफल एवं सुगम संचालन हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुसार इस विश्वविद्यालय में भी खेलबोर्ड का गठन करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। खेल बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :–

1. One Principal of Govt./Aidded College to be nominated by the Vice-Chancellor as a Chairman.
2. Four Physical Instructors/Directors- Three from the affiliated colleges nominated by the BOM and one from the Colleges nominated by the Vice-Chancellor.
3. Lady Principall/Director of a College holding the University Girl's Tournament.
4. Principal/Director of the college holding Athletic Meet (for Boys)
5. A Director of Physical Education (NET, SLET Qualified) of the University Teaching Departments or any Govt. Colleges to be nominated by the Vice-Chancellor as Member Secretary or Director Sports.

निर्णय :– प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श कर लिया गया कि खेल–बोर्ड में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के प्रतिनिधि, दो प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों के एवं दो प्राचार्य अनुदानित महाविद्यालयों, एक प्राचार्य/निदेशक महिला महाविद्यालय को भी खेल बोर्ड में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही खेलकूद निदेशक के स्थान पर मनोनीत किये गये सदस्यों में से सदस्य सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए। खेल बोर्ड का गठन माननीय कुलपति महोदय द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–11/2010/117(ii)

विश्वविद्यालय के नियमित परीक्षा नियंत्रक श्री बजरंग लाल के दिनांक 29.01.07 को सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने के परिणामस्वरूप अचेतन अवस्था में रहने के कारण श्री उमेश चतुर्वेदी (सेवानिवृत प्राचार्य) कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक रहे। दिनांक 30.05.09 को उन्हें कार्यमुक्त करने के कारण डॉ. पी.आर. ओझा, प्राचार्य, राज. डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक बनाया गया। दिनांक 16.07.09 को डॉ. ओझा के असमर्थता जाहिर करने पर इनके स्थान पर कुलसचिव श्री एस.एस. रांकावत को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। नियमित परीक्षा नियंत्रक का दिनांक 11.10.09 को निधन हो जाने पर परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया। राज्य सरकार से इस पद को सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और पद भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। श्री रांकावत ने कार्य की जटिलता के कारण इस कार्य को करने में कठिनाई से अवगत कराने पर किसी सेवारत प्राचार्य को प्रतिनियुक्ति पर लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। प्रमुख शासन सचिव ने दूरभाष पर किसी नियमित प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति अभी सम्भव नहीं होने किसी सेवानिवृत अनुभवी शिक्षक को परीक्षा नियंत्रक का कार्य सौंप कर परीक्षा कार्य को करवाने का निर्देश दिया जिसकी पालना में डॉ. के.के. कोचर (सेवानिवृत) जो वर्तमान में विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, बीकानेर के कार्यवाहक प्राचार्य का कार्य भी देख रहे हैं, को तुरन्त प्रभाव से विश्वविद्यालय में कार्यकारी परीक्षा नियंत्रक के रूप में लगाया गया। आदेश की प्रति संलग्न है।

इसी तरह परीक्षा के समय स्टाफ की कमी को देखते हुए राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर पाँच सेवारत शिक्षकों की सेवाएँ विश्वविद्यालय में देने हेतु लिखा गया परन्तु मात्र दो शिक्षक ही प्रतिनियुक्ति पर प्रदान किये तथा प्रमुख शासन सचिव ने दूरभाष पर सेवानिवृत शिक्षकों की सेवाएँ लेने की अनुमति प्रदान

की। अतः परीक्षा कार्य सुचारू तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से अस्थाई रूप से डॉ. एच.आर. बेनीवाल (सेवानिवृत प्राचार्य) को परीक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया।

पूर्व कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक श्री चतुर्वेदी (सेवानिवृत प्राचार्य) को 15,000/– रू. स्थिर मासिक वेतन का भुगतान किया गया था, अतः श्री कोचर (सेवानिवृत प्राचार्य) को भी 15,000/– रू. मासिक स्थिर वेतन स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। डॉ. बेनीवाल चूंकि कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक के निर्देशन में परीक्षात्मक कार्य निस्तारण में सहायता करेंगे, अतः इनका स्थिर वेतन 12,000/– रू. निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार अस्थाई नियुक्ति एवं मासिक स्थिर वेतन निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा नियंत्रक को 15,000/– प्रति माह एवं परीक्षा समन्वयक को 12,000/– प्रति माह की दर से प्रस्तावानुसार पारिश्रमिक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि उपरोक्त वेतन राशि अंतिम वेतन (सेवानिवृति के समय) में से पेंशन राशि घटाने के पश्चात् शेष राशि से अधिक नहीं हो।

टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–11/2010/117(iii)

विश्वविद्यालय में पाँच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये थे। विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.20 (2)/शिक्षा–4/2007 पार्ट दिनांक 07.04.10 के द्वारा रिक्त पाँच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर एक्स सर्विस मैन को संविदा से भरे जाने की सहमति प्रदान की है। पत्र की प्रति संलग्न अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। नियमित रिक्त पदों पर एक्स सर्विस मैन को निविदा से भरने की प्रक्रिया उचित प्रतीत नहीं होती है। इन पदों को नियमानुसार सीधी भर्ती द्वारा भरने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार पांच एक्स सर्विस मैन कों संविदा पर रखा जावें तथा सीधी भर्ती से भरने हेतु राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु पुनः अनुरोध किया जावें।

अतः में माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुर्सी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कुलसचिव